प्रेषक,

किशलय सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

2— **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—7 **लखनऊ : दिनांक** 22 **मार्च, 2024**

विषय : उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के प्राविधानों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, महिला कल्याण अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या—244 / 60—3—2024—आर—1103 / 2021 दिनांक 22.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के प्राविधानों के संबंध में दिनांक 31.03. 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों से लिये गये घोषणा पत्रों की सूचना निदेशालय महिला कल्याण, जवाहर भवन, लखनऊ की ई—मेल आई.डी. — directormahilakalyan@gmail.com पर प्रेषित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विशेष सचिव, महिला कल्याण अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र दिनांक 22.02.2023 के क्रम में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के दिनांक 31.03.2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के संबंध में सूचना निदेशालय महिला कल्याण, जवाहर भवन, लखनऊ की ई—मेल आई.डी. —directormahilakalyan@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुए उक्त सूचना से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक :</u> यथोक्त।

भवदीय,

Signed by किशलय सिंह
(किशलय सिंह)
Date: 22-03-2024 11:32:30
अनु सचिव
Reason: Approved

2745192/2024/ -6

सं0-496/आठ-6.2024

1

संख्या–244/60–3–2024–आर–1103/2021

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

महिला कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2024

विषय–उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 यथासंशोधित नियमावली, 2004 के प्रावधानों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

सूच्य है कि दहेज प्रथा जो कि एक सामाजिक बुराई है, को रोकने के उद्देश्य से उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–1895/60–3–99–3(68)/97, दिनांक 29.10.1999 द्वारा उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध नियमावली, 1999 प्रख्यापित की गयी है। तत्पश्चात अधिसूचना संख्या–2457/60–3 (68)/97, दिनांक 31.03.2004 द्वारा उ0प्र0 दहेज प्रतिषेध नियमावली, 2004 प्रथम संशोधन जारी करते हुये नियमावली के नियम–5 में यह व्यवस्था की गयी है कि "प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के संबंध में यह उल्लेख करते हुये अपने नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित एक घोषणा–पत्र प्रदान करेगा, कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है"।

2– इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया दिनांक 31.03.2004 के बाद नियुक्त कार्मिको से लिये गये घोषणा पत्रों की सूचना निदेशालय महिला कल्याण, जवाहर भवन, लखनऊ की ई–मेल आई0डी0–directormahilakalyan@gmail.com पर प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त सूचना प्राप्त कर समेकित रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

(stamps:) नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। (महेन्द्र प्रसाद भारती) विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।